194/C

रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33002/99 भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA REGISTERED No. D.L.-33002/99

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 60] दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 11, 2008/चैत्र 22, 1930 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 011
No. 60] DELHI, FRIDAY, APRIL 11, 2008/CHAITRA 22, 1930 [N.C.T.D. No. 011

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

सं. फा. 4/16/2006/श.वि./न.दि.न.पा./6679.—नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् अधिनियम, 1994 (1994 का 44) की धारा 310 के साथ पठित धारा 38 की उप-धारा (1) में "श्री सार्वजनिक सुरक्षा तथा उपद्रव को रोकने संबंधी उपविधि" शीर्षक के अंतर्गत नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् द्वारा बनाई गई नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् (कुत्तों का पंजीकरण एवं नियंत्रण) शीर्षक निम्नलिखित उपविधियों को परिषद् के दिनांक 29 दिसम्बर, 2006 के संकल्प से 6(सी-47) द्वारा पूर्व प्रकाशन के पश्चात् तथा उक्त अधिनियम की धारा 391 में यथापेक्षित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के पूर्वानुमोदन से, इसके द्वारा सामान्य सूचना के लिए प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ.**—(1) इन उपविधियों को नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् (कुत्तों का पंजीकरण एवं नियंत्रण) उपविधि, 2008 कहा जाएगा।

(2) ये दिल्ली राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. **परिभाषाएं.**—(1) उपविधियों में जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों—

(क) 'अधिनियम' का अर्थ है नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् अधिनियम, 1994 (1994 का 44);

(ख) "स्वामी" का अर्थ है कुत्ते का स्वामी और इसमें अन्य व्यक्ति भी शामिल हैं जो ऐसे कुत्ते को रखे हुए या अभिरक्षा में है, चाहे यह स्वामी की सहमति से या इसके बिना हों;

(ग) "पंजीकरण अधिकारी" का अर्थ है उपविधियों के उद्देश्य के लिए अध्यक्ष द्वारा पंजीकरण अधिकारी के रूप में नियुक्त अधिकारी;

(घ) "सचिव" का अर्थ है परिषद् का सचिव जिसमें उसके द्वारा समय-समय पर आदेश से अधिकृत अन्य नगर पालिका अधिकारी भी शामिल है;

(ङ) "धारा" का अर्थ है अधिनियम की धारा;

(च) "आवारा कुत्ता" का अर्थ है गली, पार्क या सड़क पर रहने वाला कुत्ता;

(छ) "पशु चिकित्सक" का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसके पास मान्यताप्राप्त पशु चिकित्सा कॉलेज से उपाधि हो तथा भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् के पास पंजीकृत हों।

(2) अधिनियम में प्रयोग किए गए परन्तु परिभाषित न किए गए शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो अधिनियम में उनके लिए दिया गया है।

3. **रेबीज के टीकाकरण तथा पंजीकरण के बिना कुत्ते रखने का निषेध.**—कोई भी व्यक्ति पंजीकरण प्राधिकारी से पंजीकृत करवाए बिना तथा रेबीज के टीकाकरण के बिना कुत्ता नहीं रखेगा।

4. **धातु का टोकन जारी किया जाना तथा रेबीज के लिए टीका लगवाना.**—तीन महीने से अधिक की आयु का कुत्ता रखने या लाने वाला व्यक्ति सात दिन के भीतर पंजीकरण अधिकारी से एक पंजीकरण प्रमाण-पत्र तथा धातु का टोकन प्राप्त करेगा इस टोकन को वह पंजीकृत कुत्ते को कालर में पहना कर रखेगा। पंजीकरण प्रमाण पत्र में अन्य विवरण के अलावा निम्नलिखित विवरण होगा :-

(क) स्वामी का नाम और पता

(ख) पंजीकरण संख्या

(ग) कुत्ते की पहचान जैसे इसका नाम, नस्ल, जन्मतिथि, लिंग, रंग तथा एंटी रेबीज टीका लगाने तथा अगले टीके की तिथि

(घ) कोई अन्य विवरण

5. पंजीकरण शुल्क एवं कुत्तों का टीकाकरण :–

(1) किसी कुत्ते के पंजीकरण तथा पंजीकरण प्रमाण-पत्र तथा धातु का सेवन जारी करने के लिए तीस रुपये से लेकर अधिकतम पांच सौ रुपये प्रति कुत्ते के अनुसार जैसा कि सचिव द्वारा तत्समय निश्चित किया गया हो, पंजीकरण प्राधिकारी को आवेदक द्वारा देय होगा जिस के लिए उसे रसीद प्रदान की जायेगी ।

(2) कुत्ते के स्वामी द्वारा रेबीज के लिए टीकाकरण नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् पशु चिकित्सालय, मोती बाग, नई दिल्ली में समय-समय पर परिषद् द्वारा नियत शुल्क के भुगतान पर करवाया जा सकता है । यह किसी पशु चिकित्सक से भी करवाया जा सकता है जो इस आशय का प्रमाण पत्र जारी करेगा ।

6. पंजीकरण की वैधता एवं नवीकरण.–पंजीकरण 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष तक वैध होगा, जिसे वैधता समाप्ति से पहले नवीकृत करना होगा । नवीकरण का शुल्क प्रथम पंजीकरण के समान होगा ।

7. स्वामित्व में बदलाव.–कुत्ते का स्वामी, यदि कुत्ते का स्वामित्व या उसके पते में परिवर्तन हुआ या कुत्ता गुम हो गया या मर गया है, घटना के तीन मास के भीतर इस की सूचना पंजीकरण अधिकारी को प्रदान करेगा ।

8. गैर-पंजीकृत कुत्तों को पकड़ना.–कालर या अन्य विशेष चिन्हों के बिना जिससे उसके व्यक्तिगत संपत्ति होना का पता चले या उप-विधि 4 के अनुसार पंजीकरण का धातु का टोकन न पहने हुए कुत्ते को माना जायेगा कि उसका पंजीकरण नहीं हुआ है । ऐसे कुत्ते, या गैर-पंजीकृत कुत्ते के सड़क पर आवारा घूमते हुए या अपने स्वामी के स्थान से बाहर पाये जाने पर पकड़ा जा सकता है तथा उस पर पशुओं पर अत्याचार निवारण अधिनियम, 1960 (1960-1959) के अंतर्गत बनाए गए पशु जन्म नियंत्रण (कुत्ते) नियमावली, 2001 के नियम 6, 7 तथा 8 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

9. आवारा कुत्तों की जनसंख्या पर नियंत्रण.–आवारा कुत्तों की जनसंख्या पर नियंत्रण की दृष्टि से अध्यक्ष या अन्य नगर निगम अधिकारी या उसके द्वारा इस आशय के लिए अधिकृत अन्य नगर निगम कर्मचारी जहां तक संभव हो पशुकल्याण संघों, व्यक्तियों आदि जैसा कि उपविधि 8 में उल्लिखित पशु जन्म नियंत्रण (कुत्ते) नियमावली, 2001 के नियम 6 में उल्लिखित हैं, की भागीदारी से वंध्याकरण एवं टीकाकरण के लिए आवश्यक कदम उठाए गए ।

10. कुत्तों की सुखमृत्यु.–नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् पशु चिकित्सालय, मोती बाग, नई दिल्ली के प्रभावी चिकित्सक या सचिव द्वारा अधिकृत पशु चिकित्सक द्वारा असाध्य रूप से बीमार तथा मरने के स्तर तक घायल निदान किए गए कुत्तों को पशुचिकित्सक द्वारा या भारतीय पशुकल्याण बोर्ड द्वारा अनुमोदित अन्य मानवीय तरीके से जो वयस्क हैं उन्हें सोडियम पेंटाथलोन तथा अल्पायु कुत्तों को थियोपेंटल इंट्रोपेरिटोनियल देकर मानवीय तरीके से विशेष समयावधि के दौरान सुखमृत्यु दी जाएगी । एक कुत्ते के सामने दूसरे को मृत्यु नहीं दी जाएगी । सुखमृत्यु कार्य के लिए उत्तरदायी व्यक्ति सुनिश्चित करेगा कि अंतिम क्रिया से पहले पशु मर चुका हो ।

11. खुंखार या बहरे कुत्ते.–

(1) परिषद् की कुत्ते नियंत्रण कक्ष शिकायत प्राप्त होने पर या अन्यथा रूप में रेबिड संदेहास्पद कुत्ते को पकड़ लेगा ऐसा कुत्ता इनको रखने के स्थान पर ले जाकर एकान्त वार्ड में रखा जायेगा ।

(2) ऐसा कुत्ते का निरीक्षण नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् पशुचिकित्सा अस्पताल, मोती बाग, नई दिल्ली के प्रभावी चिकित्सक तथा पशु कल्याण बोर्ड द्वारा या बोर्ड द्वारा अधिकृत किसी संगठन के प्रतिनिधि की उपस्थिति में किया जायेगा ।

(3) यदि ऐसे कुत्ते में रेबीज की अत्यधिक संभावनाएं पाई जाती हैं तो प्राकृतिक मृत्यु तक इसे एकान्त में रखा जायेगा ।

(4) यदि कुत्ते की दस दिन के भीतर मृत्यु नहीं होती है तो इसके पुनर्वास की आवश्यक कार्यवाही के लिए मान्यता प्राप्त पशुकल्याण संगठन को सौंप दिया जायेगा ।

12. लाश का संस्कार.–सुखमृत्यु कुत्तों की लाश को परिषद् के शवदाह स्थान में लाया जायेगा ।

13. छूट.–ये उपविधियां, यदि अध्यक्ष संतुष्ट है, ऐसे कुत्तों पर लागू नहीं होती जो विधिवत आयोजित 'डोग शो' में लाये जाते हैं ।

14. दण्ड.–इन उपविधियों के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को अधिनियम की धारा 390 के प्रावधानों के अनुसार दण्ड दिया जायेगा ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

आर. पी. एस. भाटिया, उपसचिव

F. No. 4/16/2006/UD/NDMC/6679.—The following Bye-laws entitled the New Delhi Municipal Council (Registration and Control of Dogs) Bye-laws, 2008 made by the New Delhi Municipal Council under the head "G. Bye-laws relating to public safety and suppression of nuisance" in sub-section (l) of Section 388 read with Sections 310 of the New Delhi Municipal Council Act, 1994 (44 of 1994), vide Council's Resolution No. 6(C-47) dated the 29th December, 2006 after previous publication and with the prior approval of the Government of National Capital Territory of Delhi, as required under Section 391 of the said Act, are hereby published for general information, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These Bye-laws shall be called the New Delhi Municipal Council (Registration and Control of Dogs) Bye-laws, 2008.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. **Definitions.**—(1) In these Bye-laws, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the New Delhi Municipal Council Act, 1994 (44 of 1994);

(b) "owner" means the owner of a dog and includes any other person in possession or custody of such dog, whether with or without the consent of the owner;

(c) "registration authority" means the officer appointed by the Chairperson as registration authority for purposes of these bye-laws;

(d) "Secretary" means the Secretary of the Council and includes such other municipal officer as he may authorize from time to time, by order;

(e) "section" means a section of the Act;

(f) "street dog" means any dog residing on a street, a park or on a road;

(g) "veterinary doctor" means a person who holds a degree of a recognized veterinary college and is registered with the Indian Veterinary Council.

(2) Words and expressions used but not defined and defined in the Act shall have the same meaning assigned to them in the Act.

3. **Prohibition to keep dogs without registration and vaccination against rabies.**—No person shall keep a dog over the age of three months without getting it registered from the registration authority and vaccinate it against the rabies.

4. **Issue of a metal token and vaccination against rabies.**—Every owner shall obtain within seven days of keeping or bringing a dog over the age of three months, from the registration authority a registration certificate and a metal token, the latter being attached to the collar to be worn by the registered dog at all times. The registration certificate shall, among others, have the following particulars :—

(a) Name and address of the owner,

(b) Registration Number,

(c) Identification of the dog, for example, its name, its breed, date of birth, sex, colour, date of anti-rabies vaccination next due date for vaccination,

(d) Any other particular.

5. **Fees for registration and vaccination of dog.**—(1) For the purpose of registration of a dog and issuance of a registration certificate and a metal token, a fee of not less than thirty rupees and not more than five hundred rupees per dog, as may be fixed from time to time by the Secretary shall be payable to the registration authority by the applicant who shall be given a receipt therefor :

(2) The vaccination against rabies may be got done by the owner at the New Delhi Municipal Council Veterinary Hospital, Moti Bagh, New Delhi, against payment at such rate as may be fixed from time to time by the Council. It can also be got done from any Veterinary doctor, who will issue a certificate to that effect.

1384 DG/08-3

6. **Validity of registration and its renewal.**—The registration shall be valid for the financial year ending on 31 st March and is to be renewed every year, before its validity expires. The fee for renewal shall be the same as for initial registration.

7. **Change in ownership.**—The owner of a dog shall, within one month of the event, inform the registration authority, if there is a change of ownership, or change of address or if the dog has been lost or has died.

8. **Capturing of un-registered dogs.**—Any dog without collar and other mark distinguishing it as private property or not wearing the metal token of registration in accordance with bye-law 4, shall be deemed to have not been registered. Such a dog or any dog which has not been registered, if found straying on the street or beyond the enclosure of the house of its owner, is liable to be captured and dealt with in accordance with rules 6, 7 and 8 of the Animal Birth Control (Dogs) Rules, 2001 made under the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960).

9. **Controlling population of street dogs.**—With a view to control the population of street dogs, the Chairperson or any municipal officer or other municipal employee authorized by him in this behalf shall take necessary steps to have them, as far as practicable, sterilized and immunized with the participation of animal welfare organizations, private individuals, etc., referred to in rule 6 of the Animal Birth Control (Dogs) Rules, 2001, referred to in bye-law 8.

10. **Euthanasia of dogs.**—Incurably ill and mortally wounded dogs as diagnosed by the doctor-in-charge of the New Delhi Municipal Council Veterinary Hospital, Moti Bagh, New Delhi, or by a veterinary doctor authorized by the Secretary, shall be euthanised during specified hours in a humane manner by administering sodium pentathlon for adult dogs and thiopental introperitoneal for puppies by a veterinary doctor or euthanised in any other humane manner approved by the Animal Welfare Board of India. No dog shall be euthanised in the presence of another dog. The person responsible for euthanizing shall make sure that the animal is dead before disposal.

11. **Furious or dumb rabid dogs.**—(1) The Dog Control Cell of the Council, on receipt of a complaint or otherwise, shall catch a dog which is suspected to be rabid. The said dog would, then, be taken to pound where it would be isolated in an isolation ward.

(2) Such dog shall be subjected to inspection by the doctor-in-charge of the New Delhi Municipal Council Veterinary Hospital, Moti Bagh, New Delhi and a representative from the Animal Welfare Board or such organization as the Board may authorize.

(3) If such dog is found to have a high probability of having rabies, it would be isolated till it dies a natural death.

(4) If the dog does not die within ten days, then, it will be handed over to a recognized animal welfare organization for taking necessary action to rehabilitate the dog.

12. **Disposal of carcasses.**—The carcasses of such euthanised dogs shall be disposed of in an incinerator of the Council.

13. **Exemptions.**—These byelaws shall, if the chairperson is satisfied, not apply to dogs, which are brought, for the *bona fide* "dog shows":

Provided that such dogs are not kept for more than seven days in New Delhi.

14. **Penalty.**—Whosoever contravenes any of the provisions of these byelaws shall be punishable in accordance with the provisions of section 390 of the Act.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

R. P. S. BHATIA, Dy. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.